

310
23

20-23/760

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कसांक:-भू.अ./2023/04.

दिनांक:-8/6/2023

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयानु श्री प्यारचंद पिता रामाराम गोशी
देवरी प.ह. देवरी के राजस्व ग्राम पारखिया में जमाबन्दी संवत 8076
की खाता संख्या 656, 55, 110 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम प्यारचंद किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम प्यारचंद का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिपोर्ट में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 12
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

8/6/23
तहसीलदार चित्तौडगढ
चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कसांक:-रैंडर/2023/86

दिनांक:-8/6/2023

निमित्त,

पटवार हल्का देवरी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वांछत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 138

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयानु के अनुसार श्री प्यारचंद पिता रामाराम गोशी
राजस्व ग्राम पारखिया प.ह. देवरी की खाता संख्या 656, 55, 110, 109 में
जाति/नाम प्यारचंद दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयानु श्री प्यारचंद पिता रामाराम गोशी
जाति/नाम प्यारचंद एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. देवरी राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अंगुल में पाठाना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ